

जिला पंचायत/क्षेत्र समिति प्रपत्र संख्या 5

(नियम 41 देखिये)

("अनुसूचित जातों के आरक्षण के संबंध में")

जिला पंचायत/क्षेत्र समिति के नाम पर निर्धारित क्षेत्र समिति के नाम का पत्र संख्या

वही संख्या 363706

नाम संविधान संख्या 363706

विल संख्या 363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

जिला पंचायत/क्षेत्र समिति के नाम पर निर्धारित क्षेत्र समिति के नाम का पत्र संख्या

363706

वही संख्या 363706

नाम संविधान संख्या 363706

विल संख्या 363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

363706

कार्यालय जिला पंचायत, बाराबंकी

परमिट संख्या: 1009/मानचित्र/जि0प0/2017-18 दिनांक: 27 अक्टूबर, 2017

मेसर्स ए0आर0जी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0
544/2220, आदर्शनगर,
वालागंज, लखनऊ/
ग्राम सन्दौली सफेदाबाद, तहसील नवावगंज
जनपद-बाराबंकी

अनुज्ञा-पत्र

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 07-09-2017 के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि खसरा/गाटा संख्या-695, 697, 698, 700, 701, 711, 712, 713, 714, 715, 722 व 723 स्थित ग्राम सन्दौली उमरपुर, परगना देवा, तहसील नवावगंज, जनपद बाराबंकी में रिहायशी भवन निर्माण हेतु कवर्ड एरिया 25784.00 वर्ग मीटर हेतु प्रस्तावित परिवर्धित मानचित्र की स्वीकृति मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बाराबंकी के पत्र संख्या सीएफओ/गेमो/अग्निसुरक्षा-2017, दिनांक 31-08-2017 को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 27-10-2017 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

माननीय अध्यक्ष की स्वीकृति दिनांक 27-10-2017 के अनुक्रम में उपर्युक्त मानचित्र जिला पंचायत बाराबंकी की भवन निर्माण उपविधि दिनांक 21 मई 2011 के उपबन्धों के अधीन तथा निम्नलिखित उपबन्धों/प्रतिबंध सहित स्वीकार किया जाता है:-

- (1) अनुज्ञा पत्र जारी करने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा की गयी स्वीकृति स्वयं में निरस्त मानी जायेगी। निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
- (2) मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण विभाग, पर्यावरण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों से यथा आवश्यक लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यस्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कुशल एवं दक्ष आर्किटेक्ट/इंजीनियर की देख-रेख में कराना होगा।
- (3) प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य करते समय तथा निर्माण अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री सन्मुख मार्ग पर एकत्रित/अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
- (4) प्रतिबंध यह रहेगा कि आवेदक द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित कर जलमल/सीवरेज/उत्सर्जित पदार्थ का निस्तारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाये।
- (5) प्रतिबंध यह रहेगा कि मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स/लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के नियम यथावत लागू रहेंगे।
- (6) प्रतिबंध यह रहेगा कि रिहायशी भवन निर्माण कार्य मानचित्र के अनुसार कुल कवर्ड एरिया भवन 25784.00 वर्ग मीटर एवं ओपेन एरिया 4882.00 वर्ग मीटर से ही निर्माण कार्य प्रतिबन्धित होगा।
- (7) प्रतिबंध यह रहेगा कि कम से कम 100 वृक्ष का वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।

- (8) प्रतिबंध यह रहेगा कि भवनों के स्ट्रक्चरल प्राविधानों को नेशनल बिल्डिंग कोड की सुरक्षा मानकों के अनुसार ही कराया जायेगा। यह उत्तरदायित्व भवन स्वामी/कम्पनी का होगा।
- (9) प्रतिबंध यह रहेगा कि भवन निर्माण अग्निशमन/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्राविधानों (अनिवार्य रूप से) को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अनुसार कराया जायेगा।
- (10) प्रतिबंध रहेगा कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होगा।
- (11) प्रतिबंध यह रहेगा कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
- (12) भवन निर्माण में श्रम विभाग के प्राविधानों का पालन करते हुए आवश्यक सेस कर का भुगतान श्रम विभाग को भवन स्वामी/कम्पनी द्वारा करना होगा।
- (13) राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रस्तावित स्थल की दूरी मार्ग के मध्य से 67.10 मीटर और सम्पर्क मार्ग से अथवा गलियारे से 10 मीटर होना आवश्यक है।
- (14) रिहायशी भवन में किसी शौचालय को गली की ओर खुला नहीं रखा जायेगा।
- (15) शौचालय का निर्माण फ्लस टाइप का होना चाहिए, जिसके लिये सेप्टिक टैंक, टैंक व शोक पिट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
- (16) भवन की कुर्सी भवन के निकट गली, सड़क आदि से या खुले स्थान की सतह से कम से कम 30 सेमी0 रखी जाय। दी गयी आज्ञा केवल निर्माण के लिये होगी और इसका कथित भूमि की सम्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (17) निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु निर्गत अनुज्ञा के दिनांक से 05 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करना होगा यदि किसी कारण से निर्माण उक्त निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुआ तो आवेदक/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर माननीय अध्यक्ष जी द्वारा पुनः विचार कर निर्माण कार्य की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में पुनः स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (18) उपरोक्त स्वीकृत मानचित्र में अथवा निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन बिना जिला पंचायत की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।
- (19) किसी भी प्रकार के भूमि व अन्य विवाद के उत्पन्न होने पर जिला पंचायत, बाराबंकी इसका उत्तरादायी नहीं होगा तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय, बाराबंकी होगा।
- (20) स्वीकृत मानचित्र तथा परमिट किसी भी दशा में स्वामित्व अभिलेख के रूप में मान्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप में प्रयुक्त होगा।
- (21) प्रस्तावित भूखण्ड पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराया जायेगा। भविष्य में अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु पुनः मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
- (22) स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित एरिया सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे चकमार्ग, नाली, तालाब, मरघट, चारागाह व नवीन परती भूमि, बाराबंकी की महायोजना से आच्छादित भूमि, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, अग्निशमन विभाग, वन विभाग, रेलवे विभाग व अन्य आवश्यक विभाग की भूमि होने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

Ash
27/10/17

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत बाराबंकी